

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	------------------------------	---

का प्रवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट अस्पष्ट होने के कारण पुनः तहसीलदार नैनवां को रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा जाकर पत्रावली दि. 16-11-23 को पेश हो।

16.11.23

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय वीर/ अवकाश/अर्थ/सुनाव राजकार्य में तशरीफ रखते हैं। पत्रावली दि. 25.1.24 को पेश हो।

25.1.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पैरोकार सरकार को रिपोर्ट/जवाब हेतु निर्देशित किया। पत्रावली वास्ते इन्तजार बटवमस-पस्तव/सस्ता रिपोर्ट/जवाब हेतु दिनांक 31-1-24 को पेश हो।

31.1.24

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपर्युक्त पत्रावली का प्रवलोकन किया। पत्रावली में सीमाशन करवाये जाने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट दिनांक 12/8/22 से भी स्पष्ट है कि प्राची कब्जा प्राप्त करने के लिए प्लॉट भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। सीमाशन के अभाव में पत्थरगढ़ी का यह शर्त विचार करने योग्य नहीं होने के कारण शर्त खारिज किया जाता है। निर्णय कुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से काम की जाकर बाद तकमील काबिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी  
नैनवां (बून्दी)